न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 148 सन 2022

अनवान :–

1. विकाश पुत्र कौशल्या पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कौशल्या पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मादुराम सहारण अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 480/394 की कुल 4.7680हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का बचपन में हिन्दु रिति रिवाज के अनुसर खोले (गोद) ले लिया था तभी से वादी अपने खोलायत माता /पिता के साथ रहता है तथा गोदनामा दिनांक 14.07.2021 को उपपंजीयक नोहर से पंजीबद्व करवाया गया था।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादी के ससुर हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज थी हेतराम की मृत्यू के बाद हेतराम पुत्र ओमप्रकाश की भूमि उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई और आपसी सहमति से बटवारा में वाद भूमि प्रतिवादीया एवं ओमप्रकाश को प्राप्त हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तने वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र है वादी को बचपन में ही हिन्दु रिति रिवाज से गोद लिया हुआ है तथा गोदनामा पंजीबद्व करवाया हुआ है अर्थात वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है तथा वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन से प्राप्त हुई है में वादी का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 480/394 की कुल 4.7680हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का बचपन में हिन्दु रिति रिवाज के अनुसार खोले (गोद) ले लिया था तभी से वादी अपने खोलायत माता /पिता के साथ रहता है तथा गोदनामा दिनांक 14.07.2021 को उपपंजीयक नोहर से पंजीबद्व करवाया गया था।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादी के ससुर हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज थी हेतराम की मृत्यू के बाद हेतराम पुत्र ओमप्रकाश की भूमि उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई और आपसी सहमति से बटवारा में वाद भूमि प्रतिवादीया एवं ओमप्रकाश को प्राप्त हुई जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्ताने वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 480/394 की कुल 4.7680हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के नाम से दर्ज है वादी के दादा हेतराम पुत्र ओमप्रकाश के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है वादी प्रतिवादी संख्या 1 का खोलायत पुत्र है वादी को बचपन में ही प्रतिवादी संख्या 1 ने गोद लिया जाकर गोदनामा उपपंजीय से पंजीबद्व करवाया हुआ है तथा वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पुत्र की हेसियत से रहता आ रहा है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी प्रतिवादी संख्या 1 को खोलायत पुत्र है तथा वाद भूमि जो पैतृक सम्पति है में बराबर का हकदार है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 480/394 की कुल 4.7680हैव में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. निकाश पुत्र कौशल्या पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कौशल्या पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 148 सन 2022 निर्णय दिनांक– 15/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 480/394 की कुल 4.7680हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

[redacted]।

Scanned with CamScanner